

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं०- 09/उपा०बीज अनु०-04/2011

/कृ० पटना, दिनांक

, 2017

प्रेषक :

हिमांशु कुमार राय, भा० प्र० से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में :

मेसर्स ज्योति सीडस फार्म,
ग्राम-दौलतपुर, पो०-सुभई,
हाजीपुर, वैशाली।

निबंधित

विषय : नवीकरण आवेदन अस्वीकृत करने के साथ अनुज्ञप्ति रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग: कृषि निदेशालय, बिहार, पटना का पत्रांक-5488 दिनांक 22.12.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपके बीज अनुज्ञप्ति संख्या- 270/2012 वैधता तिथि 22.05.2015 के नवीकरण हेतु वांछित कागजात की मांग की गयी है जो अबतक अप्राप्त है एवं स्थल निरीक्षण पदाधिकारी को भी उनके द्वारा माँगी गयी कागजात नहीं दिया गया है। इस प्रकार आपके द्वारा अनुज्ञप्ति में निहित शर्तों का अक्षरशः पालन नहीं किया जाता है।

अतः उपरोक्त के आलोक में आपके अनुज्ञप्ति आवेदन को अस्वीकृत करते हुए बीज अनुज्ञप्ति संख्या-270/2012 को तात्कालिक प्रभाव से रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 6633

/कृ०, पटना, दिनांक 06-11-2017

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/ उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/ सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि यदि उक्त प्रतिष्ठान द्वारा राज्य अन्तर्गत बीज का व्यवसाय किया जाय तो अवैध व्यापार मानते हुए बीज नियंत्रण आदेश 1983 के आलोक में कार्रवाई की जाय।

✓ 2. आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


3.11.17

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।